

शहरी विकास विभाग  
अधिसूचना  
दिल्ली, 24 सितम्बर, 2013

सं. एफ16/1/शा.वि./दि.ज.बो./2000-2001/2012(Pt. File)/555.—दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का अधिनियम संख्या 4) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, श्री बी. एम. धौल, सदस्य (जल वितरण) दिल्ली जल बोर्ड में, जिसका गठन दिल्ली सरकार की अधिसूचना सं. एफ 16/1/शा.वि./दि.ज.बो./98-99/4199, दिनांक 06.04.98 के तहत किया गया था, उक्त अधिनियम की धारा (3) की उप-धारा 2 के खण्ड (VII) के अन्तर्गत दिनांक 24.01.2014 से सेवा निवृत्ति तक के लिए सदस्य (जल वितरण) का कार्यकाल बढ़ाया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उपराज्यपाल के नाम तथा आदेशों से,

आर. के. श्रीवास्तव, सचिव

**DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 24<sup>th</sup> September, 2013

**F. No. (16)/(1)/UD/W/2000-2001/Part File/555.**—in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act 4 of 1998), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to extend the term of Sh. B.M. Dhoul, Member (Water Supply) for a further period from 24-01-2014 to his superannuation in the Delhi Water Board, Delhi constituted vide this Government's Notification No. F.16(1)/UD/DWB/98-99/4199 dated 6<sup>th</sup> April, 1998 under clause (7) of sub-section (2) of section 3 of the said Act.

By Order and in the Name of the Lt. Governor  
of the National Capital Territory of Delhi,  
R.K. SRIVASTAVA, Secy.